

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- कडापुरा

प्रकरण संख्या:- २३६/२५

दिनांक:- ३/१०/२५

उनवान

श्री किशन लाल डुज
गोपाल लाल डुज

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ सलमन दस्तावेज, पटवारी हल्का महापुरा भू. अ. नि. सारलोप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम कडापुरा पं० ह० कडापुरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या १३ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
१.	<u>स्वयं का व पिता का नाम अशुद्ध</u>	<u>किशन डुज गोपाल</u>	<u>किशन लाल डुज गोपाल लाल डुज (श्रेष्ठ डुज कडापुरा)</u>

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री किशन लाल डुज गोपाल लाल डुज

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

